# राजस्थान सरकार
# रोज़गार सेवा निदेशालय

क्रमांकःप.9(8)श्रनि / 2007 /                                        दिनांकः 22 SEP 2009

## आदेश

राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोज़गार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु वर्तमान में प्रचलित "अक्षत योजना–2007" को संशोधित कर **"अक्षत कौशल योजना–2009"** निम्नानुसार दिनांक 1–10–2009 से एतद द्वारा लागू की जाती है।

## अक्षत –कौशल 2009

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाम | यह योजना अक्षत कौशल 2009 कहलाएगी। यह योजना पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना, 2007 (राजस्थान स्नातक बेरोज़गारी भत्ता, 2007) का स्थान लेगी। |
| 2. | उद्देश्य | योजना का मुख्य उद्देश्य जब तक युवा अपना कौशल विकास कर रोजगार प्राप्त करे या अपना स्वयं का कार्य कर, जीवन–यापन करने में सक्षम हो तब तक, सभी ऐसे स्नातक बेरोज़गार, जिनके माता–पिता की आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो, को 1 अक्टूबर, 2009 से इस योजना के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित करना है। |
| 3. | प्रचार / विस्तार | यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी। |
| 4. | प्रारम्भ होने की तिथि | यह योजना 1.10.2009 से लागू होगी। |
| 5. | परिभाषा | **योजना**– अक्षत कौशल विकास योजना 2009<br>**पारिवारिक आय**– परिवार की कुल वार्षिक आय जिसमें माता–पिता, पति–पत्नी तथा अव्यस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।<br>**बेरोज़गार**– योजना में निर्धारित पात्रता क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत न्यूनतम स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोज़गार<br>**योग्यताधारी** – स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अथवा स्नातक के समकक्ष डिग्री, जो राजस्थान में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की गई हो।<br>**प्रशिक्षण वाउचर** – पात्र बेरोज़गारों को दिया जाने वाला कौशल विकास प्रशिक्षण वाउचर। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | पात्रता | 1. प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।<br>2. प्रार्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्थान राज्य स्थित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक का डिग्रीधारी होना चाहिए।<br>3. आयु सीमा— प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निःशक्तजन आशार्थियों के लिए 35 वर्ष होगी।<br>4. प्रार्थी प्रदेश के किसी भी एक रोज़गार कार्यालय में आवेदन की तिथि से विगत न्यूनतम छः माह से लगातार पंजीकृत हो। एक से अधिक रोज़गार कार्यालयों में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।<br>5. यदि प्रार्थी को पंजीयन के पश्चात् विभाग के द्वारा रोज़गारोनोमुखी दक्षता प्रशिक्षण (Skill Training) प्राप्त करने हेतु किसी संस्थान में अग्रेषित (Sponsor) किया जाता है और प्रार्थी उसे अस्वीकार कर देता है तो वह इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा।<br>6. प्रार्थी अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हो।<br>7. प्रार्थी किसी भी राजकीय या निजी संस्था द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत (बर्खास्त) नहीं किया गया हो।<br>8. कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसको देय वाउचर राशि की सीमा अथवा उसके नियोजन/स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि के लिए स्वीकार्य होगा।<br>9. कौशल विकास प्रशिक्षण काल के दौरान प्रार्थी का पंजीयन रोज़गार कार्यालय में निरन्तर जारी रहना चाहिए।<br>10. यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोज़गार है तथा वे अन्यथा इस योजना के तहत योग्य है तो उन सभी (अधिकतम दो व्यक्ति) को यह लाभ देय होगा। |
| 7 | अपात्रता | इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे :—<br>1— वे बेरोज़गार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोज़गार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. इस प्रकार के बेरोज़गार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे है।<br>3. इस प्रकार के बेरोज़गार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे PMGSY, NREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे है। NREGA में पंजीकृत बेरोज़गार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।<br>4. ऐसे बेरोज़गार स्नातक जिनके माता–पिता की संयुक्त वार्षिक आय एक लाख रूपयें से अधिक हो। |
| 8. | प्रशिक्षण वाउचर एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया | 1. बेरोज़गार आशार्थी को नियोज्य बनाने की दृष्टि से रोज़गार विभाग उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवायेगा।<br>2. इसके लिए इच्छुक आशार्थियों को संबंधित जिले के रोज़गार कार्यालयध्यक्ष द्वारा कौशल अधिकार पत्र (Skill Voucher) प्रदान किया जायेगा।<br>3. उक्त वाउचर की प्रतिदेय राशि (Redeemable Amount) निम्नानुसार होगी :–<br>i) पुरूष प्रार्थी – 400/– रू. प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष के लिए रू. 9600/–<br>ii) महिला आशार्थी – 500/–रू. प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष के लिए रू. 12000/–<br>iii) निःशक्तजन आशार्थी – 600/– रू. प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष के लिए रू. 14400/–<br>4. उक्त वाउचर राजस्थान राज्य में राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन (RKCL) के ज्ञान केन्द्र, राजस्थान आजीविका मिशन (RMoL) द्वारा चिन्हित/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों एवं रोज़गार विभाग द्वारा चिन्हित/ मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों में प्रतिदेय (Redeemable) होगा।<br>5. चयनित आशार्थी इसी प्रतिदेय राशि में से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक प्रशिक्षणदात्री संस्था द्वारा प्रदत्त आवास एवं भोजन व्यवस्था का भी लाभ ले सकेंगे।<br>6. इच्छुक आशार्थी अपने लिए निम्न सूचियों में से प्रशिक्षण कार्यक्रम चुन सकेंगे :–<br>i) सूची अ – राजस्थान आजीविका मिशन (RMoL द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>ii) सूची– ब– राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन (RKCL) द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>iii)सूची–स– रोज़गार विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन के पश्चात् प्रार्थी स्कील वाउचर संबंधित प्रशिक्षणदात्री संस्था के यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इन वाउचर्स का भुगतान उनके सत्यापन के पश्चात् संबंधित संस्था को संबंधित प्रायोजक संस्था यथा RMoL / RKCL/ रोज़गार विभाग के द्वारा किया जायेगा।<br>8. प्रारम्भिक तौर पर आशार्थी को राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन (RKCL) द्वारा संचालित RS-CIT प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तीर्ण करने होंगे। जिन आशार्थियों के द्वारा कोई सूचना प्रोद्योगिकी प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होगी, उन्हें RS-CIT से छूट होगी।<br>9. यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वर्ष से अधिक का हो अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम की फीस राशि वाउचर राशि से अधिक होगी तो वाउचर राशि से अधिक की राशि आशार्थी के द्वारा स्वयं वहन करनी होगी। |
| 9. | चयन प्रक्रिया | 1. प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र प्रार्थी को प्रशिक्षण पाने के लिए अपने यहॉ के रोज़गार कार्यालय, जहाँ वह पंजीकृत है, आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र में प्रमाण स्वरूप रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी एक्स–10 भी मूल रूप से लगाना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ उसे एक घोषणा पत्र भी 10/– रू. के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पर तस्दीकशुदा देना होगा कि वे पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है। उक्त शपथ पत्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।<br>2. प्रार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेरोज़गार होने का धोषणा पत्र पुनः प्रस्तुत करना होगा।<br>3. प्राथ्री के आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र को राजपत्रित अधिकारी/ कॉलेज व्याख्याता/विश्वविद्यालय व्याख्याता के द्वारा सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।<br>4. रोज़गार कार्यालय में उपरोक्त कार्यवाही हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। जिसमें प्रार्थना पत्रों को दर्ज किया जायेगा। रजिस्टर में आवेदन करने वाले प्रार्थी का पूर्ण पता आदि भी अंकित किया जायेगा।<br>5. प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ |

| | | |
|---|---|---|
| | | संलग्न करना होगा।<br>6. योजना का लाभ की अवधि में किसी भी प्रकार का रोज़गार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में अथवा रजिस्टर्ड डाक से संबंधित रोज़गार कार्यालय को सूचित करेगा।<br>7. यदि कोई प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य/सूचना देता है तो उसके विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी। |
| 10. | **कौशल वाउचर स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तथा बजट आवंटन** | इस योजना का संचालन एवं मॉनिटरिंग सम्बन्धित रोज़गार कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित जिलें के जिला कलेक्टर के अधीन होगा। इस योजना के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के द्वारा रोज़गार विभाग को बजट आवंटित किया जावेगा। |
| 11. | **विशेष** | इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोज़गार सेवा निदेशालय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। |

इस योजना की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 100903573 दिनांक 19–8–2009 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

22.9.09

शासन उप सचिव
श्रम एवं नियोजन

क्रमांकःप.9(8)श्रनि/2007/ दिनांक 22 SEP 2009

**<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>**

1–प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2–मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
3–प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4–विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
5–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6–परियोजना निदेशक, राजस्थान आजीविका मिशन, जयपुर।
7–प्रबंध निदेशक, राजस्थान नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर।

22.9.09

शासन उप सचिव
श्रम एवं नियोजन

SCHEDULE A

# List of Courses by RMoL

| S. N. | Sector/ Course | Duration of Training (days/hrs) | Cost of Course Fee Reimbursed by RMoL (in Rs.) | Average fee per Candidate (in Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receptionist / Front Desk Assistant Plus | 70/420 | 81,175 | 3247 |
| 2 | Tele Caller Plus | 70/420 | 81,175 | 3247 |
| 3 | Office Assistant Plus | 70/420 | 81,175 | 3247 |
| 4 | Logistics and Shipping Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 5 | Event Management Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 6 | Computant Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 7 | Corporate Housekeeping Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 8 | Banking Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 9 | Retail Management Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 10 | Hotel Management Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 11 | Domestic BPO | 50/300 | 66,455 | 2658 |
| 12 | Web Designing | 80/480 | 88,855 | 3554 |
| 13 | Gem & Jewellary/Gem Cutting assistant | 40/240 | 45,815 | 1833 |
| 14 | Computer Hardware | 50/300 | 77,895 | 3116 |
| 15 | Marketing and Selling Plus | 80/480 | 91,495 | 3660 |
| 16 | Career Grooming | 60/360 | 70,855 | 2834 |
| 17 | Spoken English cum Employment Readiness Skills ( L-2) | 50/300 | 60,535 | 2421 |
| 18 | Foreign Language (Arabic) | 60/360 | 66,455 | 2658 |
| 19 | Entrepreneurship & Export Management of Carpets | 80/480 | 96,855 | 3874 |

# SCHEDULE-B

## सूचि–ब

## List of courses (RKCL)

| S.No. | Sector/Course | Duration of Training (days/hrs) |
|---|---|---|
| 1. | RS-CIT Course (Rajasthan State Certificate course in Information Technology) Course fee – Rs. 2,300/-, (Essential for Un-employed youth for Computer/IT-Literacy). | 66/132 |
| 2. | RS-CEL Course (Rajasthan State Certificate course in English Language) Course fee – Rs. 2,700/-, (To increase Language, Communication Skill, with University of Cambridge). | 50/100 |
| 3. | RS-CFA Course (Rajasthan State Certificate course in Financial Accounting) Course fee – Rs. 3,600/-, (for Financial Accounting Skills, along with Tally as Education partner). | 50/100 |
| 4. | RS-CRM Course (Rajasthan State Certificate course in Retail Management) Course fee – Rs. 2,700/-, (For employment Prospects in Retail Management, approved by Retailer Association of India). | 50/100 |
| 5. | RS-CBFSI Course (Rajasthan State Certificate course in Banking, Financial Services & Insurance) Course fee – Rs. 2,700/-, (Multi-purpose training program for Banking, Financial Services & Insurance,). | 66/132 |